सौगात कान्हा में फिर गूंजी जंगली भैंसों की हुंकार, 2220 किमी का सफर तय कर सुपखार पहुंचे वन्यजीव

असम के काजीरंगा से आए चार नए मेहमान

कान्हा/मंडला, नवभारत। विश्व विख्यात कान्हा टाइगर रिजर्व के लिए आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों भरा रहा। मध्यप्रदेश से लगभग 150 वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके जंगली भैंसों को पुन: स्थापित करने के महाभियान के अंतर्गत द्वितीय चरण का सफल संचालन किया गया। कान्हा के सुपखार परिक्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित बाड़े में चार और जंगली भैंसों के दल को सफलतापूर्वक मुक्त किया गया है।

बताया गया कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) समिता राजोरा एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एल. कृष्णमूर्ति ने विधिवत रूप से जंगली भैंसों को उनके नए आशियाने में निर्मुक्त किया। इस दौरान कान्हा प्रबंधन के आला अधिकारी, जिनमें क्षेत्र संचालक रविंद्र मणि त्रिपाठी, उप संचालक प्रकाश वर्मा, अमिथा केबी सहित

समस्त सहायक संचालक और स्थानीय अमला मौजूद रहा।

50 जंगली भैंसों के पुर्नस्थापना का है लक्ष्य

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार कान्हा का सुपखार क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से जंगली भैंसों का प्राकृतिक वास रहा है। यहाँ पूर्व में उनकी उपस्थिति के पुख्ता प्रमाण मिलते रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रेरणा से मध्यप्रदेश वन विभाग ने इस विलुप्तप्राय प्रजाति को वापस लाने की विशेष कार्ययोजना तैयार की है। परियोजना के प्रथम चरण में विगत माह 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं चार भैंसों को बाड़े में छोड़ा गया था। अब द्वितीय चरण के बाद कान्हा में कुल जंगली भैंसों की संख्या 8 जिसमें 2 नर और 6 मादा हो गई है। विभाग का लक्ष्य आगामी 3 वर्षों में कुल 50 जंगली भैंसों को यहाँ पुर्नस्थापित करना है।

जैव विविधता संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर

कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों और बारहसिंगा के सफल संरक्षण के बाद अब जंगली भैंसों की पुर्नस्थापना मध्यप्रदेश के पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक समृद्ध करेगी। अधिकारियों का मानना है कि यह पहल न केवल जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे कान्हा में पर्यटन के नए द्वार भी खुलेंगे। सुपखार क्षेत्र में भैंसों की वापसी से मध्यप्रदेश के वन्यजीव इतिहास का एक पुराना पन्ना फिर से जीवित हो उठा है। अमले की इस सफलता पर वरिष्ठ अधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे वन विभाग के संकल्प और अथक परिश्रम का परिणाम बताया है।

दो अनुभवी वन्यजीव चिकित्सकों की टीम ने की निगरानी

इन वन्यजीवों को असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व से मंडला तक लाना एक बड़ी चुनौती थी। लगभग 2220 किलोमीटर की इस लंबी दूरी को सड़क मार्ग से तय किया गया। इस संवेदनशील परिवहन कार्य के लिए विशेष वन्यजीव वाहनों का उपयोग किया गया। पूरे सफर के दौरान दो अनुभवी वन्यजीव चिकित्सकों की टीम ने भैंसों के स्वास्थ्य की सतत निगरानी की। एक सहायक संचालक और एक परिक्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में पूरे दल ने बिना रुके लगभग 72 घंटे का सफर तय कर इन वन्यजीवों को सुरक्षित कान्हा पहुँचाया।

कान्हा की गोवा जैसी लाइफस्टाइल पर उठे सवाल

बाघों की मौत और नियमों की अनदेखी पर फूटा जन-आक्रोश

कान्हा/मंडला। एशिया के सबसे बेहतर प्रबंधित राष्ट्रीय उद्यानों में शुमार कान्हा टाइगर रिजर्व इन दिनों अपनी जैव विविधता के बजाए विवादों और अव्यवस्थाओं के कारण चर्चा में है। कान्हा में लगातार हो रही बाघों की मौत और प्रबंधन की कथित अपारदर्शिता के विरोध में जिले के पत्रकारों का धरना प्रदर्शन मंडला कलेक्ट्रेट मार्ग पर छठवें दिन भी जारी रहा। आंदोलन को समाज के हर वर्ग और राजनीतिक दलों का भारी समर्थन मिल रहा है।

बताया गया कि धरना स्थल पर पहुँच रहे वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों ने कान्हा की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आरोप है कि पार्क के गेट से सटे रिसॉर्ट्स और होटलों में नियम-कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पर्यटकों का कहना है कि वे यहाँ सुकून और वन्यजीवों के दीदार के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ खुलेआम बजते डीजे, आतिशबाजी, पूल पार्टियाँ और मसाज पार्लर का संचालन गोवा जैसा माहौल बना रहा है। जंगल की शांति को भंग करने वाले इन कृत्यों पर पार्क प्रबंधन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।

मौत पर पर्दा डालने का आरोप

आंदोलनकारी पत्रकारों का आरोप है कि कान्हा प्रबंधन बाघों की मौत के वास्तविक कारणों को सार्वजनिक करने के बजाए तथ्यों को छिपाने और मीडिया को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। पत्रकारों की 14 सूत्रीय मांगें पूरी तरह जनहित और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी हैं। पत्रकारों ने दो टूक कहा कि यदि प्रबंधन ने जवाबदेही तय नहीं की, तो वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था पर दुनिया का भरोसा उठ जाएगा।

हो रहीं अवैध गतिविधियां

पार्क के बफर जोन और आसपास के रिसॉर्ट्स में पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी के चौकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। बताया गया कि होटलों और रिसॉर्ट्स में स्थानीय जंगलों से लाई गई अवैध लकड़ी का चूल्हा जलाने में उपयोग किया जा रहा है। हर तरफ पॉलीथीन, डिस्पोजल, और शराब की खाली बोतलों का अंबार लगा है, जिसके विनिष्टीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। सफारी के लिए वर्षों पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।

आंदोलन को मिल रहा समर्थन

पत्रकारों के इस संघर्ष को भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ. अशोक मर्सकोले, आप के पंकज सोनी, पटवारी संघ के गीतेन्द्र बैरागी और बसपा नेता सुरेन्द्र चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया है। सभी का एक ही मत है कि कान्हा जिले की अमूल्य धरोहर है और इसकी सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

ऐतिहासिक गौरव दांव पर

1955 में स्थापित और 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित कान्हा विशेष रूप से विलुप्तप्राय हार्डग्राउंड बारासिंघा के संरक्षण के लिए विश्व विख्यात है। 2,051 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पार्क की गरिमा वर्तमान प्रबंधन की कार्यशैली के कारण धूमिल हो रही है। यदि समय रहते इन अव्यवस्थाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो विश्व स्तर पर कान्हा की छवि को अपूरणीय क्षति पहुँच सकती है।

बम्हनी-बिछुआ मार्ग पर दिखा नाग-नागिन का जोड़ा, उमड़ी भीड़

वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बम्हनी बंजर, नवभारत। बम्हनी से बिछुआ मार्ग पर शुक्रवार शाम उस समय कौतूहल की स्थिति निर्मित हो गई, जब मुख्य सड़क के किनारे स्थित एक नाले में नाग-नागिन का जोड़ा दिखाई दिया। पानी के बीच दोनों सांपों को एक साथ देख राहगीरों और स्थानीय लोगों के कदम ठिठक गए।

नाग-नागिन के जोड़े को नाले के पानी में काफी देर तक एक-दूसरे के आसपास घूमते देखा गया। इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कई उत्साही लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जो देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में वायरल हो गया। गनीमत यह रही कि लोगों ने सुरक्षित दूरी बनाए रखी और वन्यजीवों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की।

गर्मी के कारण जलस्रोतों की ओर बढ़ रहे वन्यजीव

स्थानीय निवासियों का कहना है कि तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही जलस्रोतों के आसपास सांप और अन्य वन्यजीवों का दिखना सामान्य हो गया है। हालांकि, मुख्य मार्ग के इतने करीब नाग-नागिन का जोड़ा दिखाई देना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वन्यजीव जानकारों ने अपील की है कि यदि इस तरह के वन्यजीव सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई दें, तो उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उन्हें नुकसान पहुँचाने या उनके करीब जाने का प्रयास न करें, क्योंकि यह सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो सकता है।

कुटरवानी के पड़ोसियों का 4 साल पुराना विवाद खत्म, गले मिले दोनों पक्ष

भुआबिछिया सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत आयोजित, सुलझाए गए कई मामले

भुआबिछिया, नवभारत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, तहसील विधिक सेवा समिति बिछिया में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश कमल जोशी के मार्गदर्शन में आयोजित इस अदालत का शुभारंभ न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनल गजबीर द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

राजीनामे से हुआ प्रकरणों का निपटारा-लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित और प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने पर जोर दिया गया। आयोजन के दौरान 5 सिविल और 10 आपराधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिससे दोनों पक्ष लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त, बैंकों और नगर परिषद भुआबिछिया के 51 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निपटारा कर कुल 5,91,417 रुपये की राशि वसूल की गई।

मानवीय पहल-पड़ोसियों की खत्म हुई कड़वाहट-लोक अदालत में सुलझाए गए मामलों में सबसे प्रमुख ग्राम कुटरवानी का प्रकरण रहा। यहाँ की निवासी गौरा बाई साहू का अपने पड़ोसियों—दिनेश साहू, आशालाल, पप्पू और इंद्रा साहू के साथ कृषि कार्य को लेकर विवाद चल रहा था। वर्ष 2022 से चल रहे इस आपराधिक मामले प्रकरण क्रमांक 249/22 में दोनों पक्षों के बीच काफी समय से कड़वाहट थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनल गजबीर, एडीपीओ कामेंद्र परस्ते और अधिवक्ताओं की प्रभावी समझाइश के बाद दोनों पक्ष आपसी सहमति से राजीनामे के लिए तैयार हो गए। वर्षों पुराना विवाद समाप्त कर दोनों पक्षों ने भविष्य में सद्भावना पूर्वक रहने का संकल्प लिया।

इनकी रही उपस्थिति-इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय चौरसिया, सचिव पीयूष पांडेय, रक्षा कोष्ठा, जेपीएन मिश्रा, संदीप पटेल, मिलाप धुर्वे, विनय यादव, नंदलाल झारिया, हर्षित राय, योगेश तेकाम, राजेंद्र बंजारा सहित एडीपीओ कामेंद्र सिंह परस्ते, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे। लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय पाकर पक्षकारों ने संतोष व्यक्त किया।

बैंक और नगर परिषद के प्रकरणों में हुई लाखों की वसूली, न्यायाधीशों ने जताई प्रसन्नता

निवास, नवभारत। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला के सचिव तपन धारगा के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति निवास में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित इस लोक अदालत का शुभारंभ माँ सरस्वती की पूजा-अर्चना के साथ हुआ। जिला न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु दो खंडपीठों का गठन किया गया था। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट, आपराधिक मामले, सिविल, भरण-पोषण, चेक बाउंस और पारिवारिक विवादों को आपसी सुलह के आधार पर सुलझाया गया।

प्री-लिटिगेशन और न्यायालयीन मामलों में सफलता

लोक अदालत के आंकड़ों के अनुसार प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक के 19 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें 5,31,690 रुपये की वसूली की गई। निवास नगर परिषद के 07 प्रकरण सुलझाए गए, जिनसे 13 हजार रुपये प्राप्त हुए। न्यायालयीन लंबित मामले में जिला न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा के न्यायालय में कुल 17 प्रकरण निराकृत हुए, जिनमें 13,61,739 रुपये का सेटलमेंट अमाउंट पारित किया गया। इससे लगभग 25 पक्षकार लाभान्वित हुए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पदमिनी सिंह के न्यायालय में 03 क्रिमिनल, 04 पारिवारिक और 01 अन्य प्रकरण का आपसी सहमति से निपटारा किया गया।

अतिथियों एवं सहयोगियों का आभार

आयोजन की सफलता पर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति प्रवीण कुमार सिन्हा ने सभी न्यायाधीशों, न्यायालयीन कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न केवल समय और धन की बचत करती है, बल्कि समाज में आपसी भाईचारा और सद्भावना को भी बढ़ावा देती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता और पक्षकार उपस्थित रहे।

गुणवत्ता से ही मिलेगा तेंदूपत्ता संग्रहण का बेहतर लाभांश

अधिकारियों ने फड़ों का किया निरीक्षण, संग्राहकों को दी अच्छी गुणवत्ता के पत्ते तोड़ने की समझाइश

बबलिया, नवभारत। पश्चिम सामान्य वन मंडल मंडला के अंतर्गत लघु वनोपज समिति बबलिया के तेंदूपत्ता फड़ों पर संग्रहण कार्य का विधिवत शुभारंभ हो गया है। यह कार्य मंडला के वरिष्ठ अधिकारी माधव सिंह मौर्य के दिशा-निर्देशों एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी टिकरिया मयंक उपाध्याय के मार्गदर्शन में शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन वन विभाग के अमले ने मौके पर पहुँचकर संग्रहण कार्य का अवलोकन किया और श्रमिकों को आवश्यक निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और फड़ प्रबंधकों ने संग्राहकों को समझाया कि पत्तों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संग्रहित पत्तों की गड्डियाँ अच्छी होनी चाहिए, जो बीड़ी बनाने योग्य हों। संग्राहकों को सलाह दी गई कि वे लाल, कटी-फटी या बीमार पत्तियों का संग्रहण न करें। गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, विक्रय मूल्य उतना ही बेहतर मिलेगा, जिससे अंतत: संग्राहकों को मिलने वाली लाभांश की राशि में वृद्धि होगी।

सुबह 5 बजे से जुट रहे संग्राहक-तेंदूपत्ता सीजन को लाभ का धंधा बनाने के लिए क्षेत्र के ग्रामीण और मजदूर पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। ग्रामीण सुबह 5 बजे से ही जंगलों की ओर निकल जाते हैं और शाम 5 बजे तक संग्रहण कार्य में लगे रहते हैं। स्थानीय मजदूर रामू ने बताया कि इस सीजन से परिवारों को औसतन 10 से 25 हजार रुपये तक की अतिरिक्त आय हो जाती है। बड़े परिवारों में यह लाभ और भी अधिक होता है, जिससे साल भर के खर्चों में बड़ी मदद मिलती है।

अधिकारी-कर्मचारी और ठेकेदार की सक्रियता-सीजन के दौरान वन विभाग का अमला, फड़ मुंशी, हेल्पर और ठेकेदार के प्रतिनिधि लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले इस सीजन में सभी कर्मचारी समर्पित भाव से काम कर रहे हैं ताकि संग्रहण का लक्ष्य समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सके। विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मजदूरों के पसीने की पूरी कीमत उन्हें मिले और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

मातृत्व दिवस हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बरतें विशेष सावधानी, जच्चा-बच्चा की सुरक्षा के लिए प्रसव पूर्व जांच अनिवार्य

नि :शुल्क जांचों से पहचानी जा रही जोखिम भरी गर्भावस्था

नारायणगंज, नवभारत। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया गया। इस विशेष अभियान के तहत हर माह की 9 और 25 तारीख को गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित की जा रही है ताकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ रहें।

सीएमएचओ डॉ. डीजे मोहंती ने बताया कि सुरक्षित मातृत्व अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रसव से पहले ही ऐसी गर्भवती महिलाओं की पहचान करना है, जिन्हें हाई रिस्क प्रेगनेंसी की श्रेणी में रखा गया है। नारायणगंज बीएमओ डॉ. अमृत लाल कोल के अनुसार, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वह स्थिति है जिसमें सामान्य गर्भावस्था की तुलना में मां और

शिशु दोनों में जटिलताएं विकसित होने की संभावना अधिक होती है। प्रसव पूर्व जांच के दौरान यदि किसी महिला में एबनॉर्मल भ्रूण या गर्भाशय संबंधी कोई शिकायत मिलती है, तो उसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तत्काल उच्च केंद्रों पर रेफर किया जाता है।

मधुमेह की जांच के लिए हुआ ओजीटीटी टेस्ट-नर्सिंग ऑफिसर प्रर्मिला पुष्पकार ने बताया कि शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट प्रमुखता से किया गया। यह एक विशेष लैब टेस्ट है जिससे यह पता चलता है कि गर्भवती महिला का शरीर शर्करा (शुगर) को कितनी अच्छी तरह से संसाधित कर रहा है। इसके लिए महिलाओं को 300 एमएल पानी में 75 ग्राम ग्लूकोज मिलाकर पिलाया गया और दो घंटे बाद उनके रक्त के नमूने लेकर जांच की गई। यह टेस्ट गर्भावधि मधुमेह के निदान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नि:शुल्क जांच और विशेषज्ञों का परामर्श-शिविर के दौरान गर्भवती महिलाओं का एचआईवी, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, यूरीन प्रोटीन, ब्लड प्रेशर और सिकलिंग जैसे तमाम परीक्षण नि:शुल्क किए गए। इस दौरान डॉ. दीप्ति अग्रवाल, नर्सिंग मेडिकल ऑफिसर प्रर्मिला पुष्पकार और प्रतिमा हरदहा द्वारा महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ब्लड प्रेशर की जांच नीलम बैरागी द्वारा की गई, जबकि लैब टेक्नीशियन मोनिका सिंगरौरे, प्रदीप कछवाहा और वीर सिंह ने सभी पैथोलॉजी जांचें संपन्न कीं। अंत में निशेष नामदेव द्वारा पात्र महिलाओं को निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया।

समय पर जांच ही सुरक्षा का आधार- स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि सभी गर्भवती महिलाएं निर्धारित तिथि 09 और 25 तारीख को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। संस्थागत सुरक्षित प्रसव के लिए पंजीकरण और नियमित जांच ही जच्चा-बच्चा की सुरक्षा की पहली सीढ़ी है।